सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या : 1602/III(2)/05(सामान्य)–17/2018

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

लोक निर्माण विभाग–2

देहरादून : दिनांक: 18 अप्रैल, 2018

विषय : लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 5443/III(2)/15–13(सामान्य) /2015 दिनांक 23 जुलाई, 2015 द्वारा भी नवीन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः एकल संयोजकता के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने, मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित करने, 02 किमी लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई के पैदल मार्गों को प्रस्तावित न करने, 250 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना से आच्छादित किए जाने, नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों को छोड़कर समस्त आन्तरिक मार्गों का निर्माण न करने आदि प्रमुख है।

2– उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को आपकी उपस्थिति में अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ हुए विचार विमर्श के उपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा उपरोक्त शासनादेश एवं समय–समय पर निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा उल्लिखित दिशा निर्देशों के विपरीत आगणन गठित कर शासन को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया निम्न बिन्दुओं पर तथा विभागीय दृष्टिकोण से कोई अन्य यथोचित उपयुक्त बिन्दुओं को समाविष्ट कर समेकित प्रस्ताव अपने मंतव्य/ संस्तुति सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

(क) प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2015 के क्रम में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत 250 से कम आबादी वाले गांवों की सड़कों को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित न करने, वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के स्थान पर अधिक से अधिक सेतुओं का निर्माण तथा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का अधिकाधिक उपयोग किए जाने आदि के सम्बन्ध में एक समेकित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि शासन स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए जा सके।

(ख) प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वृहत्त धनराशि का व्यय किए जाने के उपरांत भी अनुरक्षण कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता। अतः राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मार्गों/सेतुओं के निर्माण तथा तत्पश्चात् तीन वर्ष के अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित् ठेकेदार के साथ अनुबन्ध किए जाने के सम्बन्ध में एक समेकित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।